न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 57/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मुन्नालाल पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी ग्राम रीवाली तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रका श पुत्र रणजीत जाति अहीर निवासी ग्राम रीवाली तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:------ रेस्पो0

2 उप पंजियक, बहरोड जिला अलवर

:----- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 24.5.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री रामेश्वर दयाल

निर्णय दिनांक 16.10.19

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड प्रार्थना पत्र संख्या 8/17 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 24.5.17 के

16/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

खिलाफ है, जिसके द्वारा पूर्व में जारी किया गया अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.1.2017 को वाद पत्र के निर्णय तक सम्पुष्ट किया गया था ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत न्यायालय में एक वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक व तकसीम आराजी तथा हुकम इम्तनाई दवामी का प्रस्तुत किया था और उस दावे के साथा धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1303 रकबा 38 एयर वाके ग्राम रिवाली तहसील बहरोड में वादी 21/130 हिस्से का खातेदार है तथा 33/130 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 खातेदार है और 1/2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 खातेदार है तथा 11/130 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10 है और मौके पर इसी हिस्सा अनुसार काबिज है । यह आराजी बिना बटी हुई है और सह खातेदारी की है । परन्तु प्रतिवादीगण आये दिन शामलात में खेती करने में मजाहमत करते हैं और अच्छी आराजी में निर्माण करने की फिराक में है । अतः उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 16.1.2017 को आगामी पेशी तक अंतरिम अस्थाई स्थगन जारी करते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था कि विवादित भूमि प्रार्थी के हिस्से तक की खातेदारी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें तथा निर्माण नहीं करें । इसके बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.5.2017 द्वारा इस अंतरिम अस्थाई स्थगन को ताफैसला मूल वाद सम्पुष्ट किया गया है । इस निर्णय दिनांक 24.5.17 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत की है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय राजस्व कैम्प में पारित किया गया है और राजस्व कैम्प की हमको सूचना नहीं दी गई थी, इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । अतः जानकारी में अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है ।

4 विद्वान वकील अपीलांट ने आगे तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय में पूर्व निर्णय दिनांक 16.10.17 का हवाला नहीं है । अपीलाधीन निर्णय राजस्व कैम्प में पारित किया गया है, जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । अपीलाधीन निर्णय इकतरफा में पारित कर दिया । विवादित भूमि सह खातेदारी की है । सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

16/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है । विवादित भूमि का करीब 30 साल पहले ही बहामी बटवारा हो चुका है । इसलिये वादी को वाद पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसंगत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

5 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि विवादित आराजी का पूर्व में विधिवत बटवारा नहीं हुआ था । इसलिये हमने तकासमा का वाद प्रस्तुत किया । ये लोग आये दिन हमारे कब्जे में मजाहमत करते थे और अच्छी अच्छी आराजी पर निर्माण करने की फिराक में थे । इसलिये इनको सही तौर पर पाबन्द किया गया है । तहत न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में पूर्व स्थगन की दिनांक 16.1.2017 का हवाला दिया है । उसी स्थगन को दावे के निर्णय तक सम्पुष्ट किया गया है । हमने जिनके खिलाफ रिलीफ चाही है, उनको पक्षकार बना लिया है । राजस्व कैम्प की इनको पूर्ण रूप से जानकारी थी । देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है । इसलिये यह अपील मियाद बाहर है । अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का गुणावगुणव पर निस्तारण किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर की गई देरी को कंडोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

7 इसके पश्चात तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया । अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि विद्वान तहत न्यायालय ने धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन और नापूर्तिजनक क्षति को विवेचित नहीं किया है । जबकि धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारित करने के लिये इन तीनों बिन्दुओं को विवेचित किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय राजस्व कैम्प में पारित किया गया है । जिसके सम्बन्ध में अपीलांट का कहना है कि कैम्प की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । चूंकि अपीलाधीन निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है और अपीलांट ने

16/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपने आपकी सुनवाई नहीं होना बताया है, इसलिये ऐसी स्थिति में हम विस्तृत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह के अन्दर अंतिम रूप से विस्तृत निर्णय पारित करें । तब तक विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1303 रकबा 38 वाके ग्राम रिवाली तहसील बहरोड़ के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/10/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner